(18)

समक्ष राजस्व मंडल सदस्य ग्वालियर

I/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा.सं./2017/3616

आवेदकगण – 1. अब्दुल रफीक आ. अब्दुल हकीम

पुनरीक्षणकर्तागण – 2. आदिल मोहम्मद आ. अब्दुल हकीम

दोनों निवासी ग्राम गोंहचर

तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

बनाम

अनावेदकगण – 1. सायरा बानो आ. अब्दुल हकीम

पति खलील मोहम्मद खान

निवासी ग्राम गोंहचर तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

हाल मुकाम – पुराना बस स्टेंड करेली जिला नरसिंहपुर

M.S. Belwanshi 3/10/2017

2. अब्दुल हमीद (मृत) जनवरी 2015

वारसान – (अ) बिल्कीस बेगम पति अब्दुल हमीद

(ब) फिरोज आ. अब्दुल हमीद

(स) जावेद आ. अब्दुल हमीद

क. अ, ब, स, निवासी कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी

3. रसीद आ. अब्दुल हकीम

निवासी ग्राम गोंहचर तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

4. रेहाना आ. अब्दुल हकीम

पति अब्दुल सईद

निवासी म.न. 1401/1402, पसयाना, रद्दी चौकी, जबलपुर

CF. 4/10/17

5. जाहिदा बी आ. अब्दुल हकीम (मृत)

वारसान – (अ) फरहान खां आ. अब्दुल बहाव खां (मृत)

वारसान – (ब) शमशाद पत्नि फरहान खां

(स) आलिम ना.बा. आ. फरहान बली मां शमशाद

(द) इमरान खां आ. अब्दुल बहाव खां

क. 05 (अ) से (द) निवासी मस्जिद के पास, लखनादौन

तहसील लखनादौन, जिला सिवनी

(3)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू0रा0/2017/3616

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2017	आवेदक अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक (अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है। उनका आदेश उचित एवं न्यायिक नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें यह लेख किया गया है कि अनावेदकों ने उनके समक्ष जो पुनरावलोकन आवेदन, स्थगन आवेदन एवं विलम्ब माप किये जाने के जो आवेदन पेश किए है वह अंग्रेजी भाषा में हैं और चूंकि अनावेदक कम पढे–लिखे व्यक्ति हैं इसलिए उन आवेदनों का हिन्दी अनुवाद कराया जाकर उन्हें न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की प्रतियों का हिन्दी अनुवाद कराकर आवेदक को दिलाया जाना चाहिए था ऐसा न करने में उनके द्वारा न्यायिक त्रुटि की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का हिन्दी अनुवाद कराया जाकर उनकी प्रतियां आवेदकों को दिलायी जायें। तद्नुसार उनसे जवाब प्राप्त किया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाए। प्रकरण उक्त निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	